तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बृजलाल बनाम राजमोहम्मद वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर —132 / 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि बृजलाल पुत्र तिलोकाराम जाति बिश्नोई की खातेदारी कृषि भूमि जो कि लूनकरनसर के चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के किला नं0 16,17,23,24,25 तादादी 5.0 बीघा, मु0नं0 69 / 14 किला नम्बर 2 ता9, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 16.14 बीघा, मु0नं0 69 / 22 मे कि0नं0 2,3,8ता13,19,20 तादादी 10.0 कुल तादादी 31.14 बीघा कमांड खाला सहित खातेदारी कृषि भूमि मुताबक संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे मु0नं0 69 / 13 के कि0नं0 16,17,23,24,25 की कुल 5.0 बीघा कमांड खाला सहित मे कृषि कार्य के लिये आने–जाने आवागमन करने व पशुधन आदि ले जाने के लिये कोई स्थायी रूप से विधि अनुसार कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। वर्तमान अप्रार्थी के नाम की मुरबा नम्बर 69 / 13 के कि0नं0 21,22 की दक्षिणी सींव मे से अपने किला नम्बर 23 मे प्रवेश करके आवागमन कर कृषि कार्य करता आ रहा है चूंकि उक्त भूमि को अब अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये बैनामा खरीद कर ली है। जिससे उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड राज मे जरिये बैनामा खरीद से अप्रार्थी संख्या 1 के ाम दर्ज हो चुकी है इस कारण प्रार्थी सदेव रास्ता के लिये अप्रार्थी का मोहताज बना रहाता है क्योंकि इसके अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के किला नं0 16,17,23,24,25 तादादी 5.0 बीघा तक पहुच मार्ग हेतु अप्रार्थी राजमोहम्मद पुत्र अजीज अली जाति मुसलमान की भूमि चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के कि0नं0 21,22 की दक्षिणी सींव से दो–दो बिस्वा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता प्रार्थी की उक्त भूमि चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के किला नं0 16,17,23,24,25 तादादी 5.0 बीघा तक पहॅुचने हेतु शामिल मिसल है। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 263–200 आरडी संवत् 2071 मु0 नम्बर 69 / 13, 69 / 14, 69 / 22 कुल तादादी 31.14 बीघा , आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के किला नं0 16,17,23,24,25 तादादी 5.0 बीघा तक पहुच मार्ग हेतु अप्रार्थी राजमोहम्मद पुत्र अजीज अली जाति मुसलमान की भूमि चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के कि0नं0 21,22 की दक्षिणी सींव से दो–दो बिस्वा रास्ता पहुंच हेतु आवश्यक है। चक 263–200 आरडी के मु0नं0 69 / 13 के कि0नं0 21,22 की दक्षिणी सींव से दो–दो बिस्वा रास्ता हेतु प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर	उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर